जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 09.12.2024**

थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 09 किलो ग्राम गांजा व तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी बरामदः-

दिनांक 08.12.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्करों को जहानपुरा पुलिया रजवाहा पटरी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से अवैध 09 किलो ग्राम गांजा व तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी बरामद हुयी है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आसिफ पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.भूरा पुत्र इकराम निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 09 किलो ग्राम गांजा।

2.तस्करी में प्रयूक्त स्कूटी रजि0नं0 UP19P0136

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंसूरा में मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे का पाईप बरामदः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 04.09.2024 को वादी जानसार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट, गाली गलौच व जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर नामजद तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंसूरा में मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि घटना में लिप्त अभियुक्त बाबर, इंसार, इन्तजार को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं अभियुक्त बिलाल द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जा चुका है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.आवेश पुत्र अखलाक उर्फ इकलाक निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1.घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप।

थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने, छेडछाड़ करने व धमकी देने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 02.12.2024 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, छेड़छाड़ करने व धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने, छेड़छाड़ करने व धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.गोल्डी उर्फ देवव्रत पुत्र प्रेमदेव निवासी मौहल्ला शास्त्रीनगर एलम थाना कांधला जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चालक व परिचालक से मारपीट मे लिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 08.12.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत बस चालक व परिचालक से टिकट लेने को लेकर मारपीट व गाली गलौच की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में परिचालक विजय कुमार पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम भुड़िया भेड़ा थाना राजेपुर जनपद फेतहगढ़ द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चालक व परिचालक से हुई मारपीट के सम्बन्ध में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अबरार पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला रामरत्न मण्डी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मोनू पुत्र साहब सिंह निवासी मौहल्ला रामरत्न मण्डी कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 09.12.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.असलम पुत्र मुश्तयाक निवासी ग्राम भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गौवध अधिनियम के 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 1999 में अभियुक्त बाबू पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 105/1999 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2004 में अभियुक्त मतलूब पुत्र सलीमूदीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 90/2004 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 09.12.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.बाबू पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

2.मतलूब पुत्र सलीमूदीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI